अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
प्रशासन गांवों के संग–2021, कैम्प–बिरामी
बइजलास :– श्री ऋषभ मण्डल, आई.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या : 75/21
GCMS No. : 2021/160
दायर तिथि : 18-11-2021
तारीख निर्णय : **18.11.2021**

प्रार्थी :–

श्रीमती किकीदेवी पत्नि सुजाराम
जाति – सीरवी, निवासी – बिरामी
तहसील – सुमेरपुर, जिला पाली

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए.

1. **प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–**

प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली में पास–पास में आई हुई स्थित है। प्रार्थी व दिगर खातेदार की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1205 रकबा 2.1500 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल सरहद मौजा बिरामी में आई हुई स्थित है। जिस खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते के अधिकार व रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1205 रकबा 2.1500 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल सरहद मौजा बिरामी में आई हुई स्थित है जिसके पूर्व दिशा की तरफ अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1193 रकबा 2.8500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु रेकर्ड रास्ता खसरा नं. 1162 से होते हुये अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1193 के उत्तर पूर्वी मात से होते हुये मध्य से होकर दक्षिणी मात (खसरा नं. 1193/3 के लगती हुई) के सहारे सहारे कदीमी रास्ता है। जो वर्तमान में मौके पर स्थित है जिस रास्ते का उपयोग प्रार्थी व सहखातेदार व उसके परिवार के सदस्य कदीमी रूप से करता आ रहा है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते को हाल में ही अप्रार्थी ने अपने प्रतिनिधियों के जरिये जोर जबरदस्ती रोकने की धमकी दी है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को अपनी खातेदारी के खेतों में आने जाने में रूकावट पैदा की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

अतः प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु रेकर्ड रास्ता खसरा नं. 1162 से होते हुये अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1193 के उत्तर–पूर्वी माठ से होते हुये मध्य से होकर दक्षिणी माठ (खसरा नं. 1193/3 के लगती हुई) के सहारे सहारे 15 फीट चौडाई में तथा सम्पूर्ण लम्बाई में रास्ता दिलाये जाने पर प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार व तत्पर है।

1. तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु मौके पर खसरा नं. 1193 क्षेत्रफल 2.85 है. बा.अ. राजस्थान सरकार (सिवायचक) दर्ज है। जिसमें खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता है। प्रार्थी के नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 1169 रकबा 3.65 है. गै.मु. रास्ता से खसरा नं. 1193 रकबा 2.85 बा.अ. में से कदीमी रास्ता खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया। सरहद मौजा बिरामी के खसरा नं. 1205 में आने जाने हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 1193 में 230X4 = 920 वर्गमीटर रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सुमेरपुर नियमानुसार डी.एल.सी. राशि की दुगुनी राशि संबंधित प्रार्थी खातेदार से अप्रार्थी खातेदार/राजकीय कोष में जमा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प बिरामी में सुनाया गया।

(ऋषभ मण्डल, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर